



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक.....अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-II(Medical)

दिनांक: 29/08/26

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा "राही नेत्रधाम सुपरस्पेशियलिटी आई हॉस्पिटल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून" को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो कि उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे हैं तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्य/पारिवारिक पेंशनर्स को कारपोरेशन नियमानुसार उक्त चिकित्सालय में नियमानुसार वाह्य रोगी/आन्तरिक रोगी के रूप में चिकित्सा/उपचार कराये जाने पर हुये चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है :-

- 1- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं० 2088-एनजी / 11/एसईबी०(चतुर्थ)-29-एनजी-11/78, दिनांक 24-05-78, 5731/निदे०(मा०सं०) उपाकालि/अनु०-का०-ई/एम-1, दिनांक 22-08-06 एवं समय-समय पर जारी एतद्विषयक प्रभावी आदेशों में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों/शर्तों के आधीन अनुमन्य होगी।
- 2- उक्त चिकित्सालय नियमानुसार भर्ती/बाह्य रोगी के रूप में सी०जी०एच०एस० की दरों पर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करेगा।
- 3- उक्त चिकित्सालय की मान्यता आदेश निर्गमन की तिथि से दिनांक 31.03.2027 तक की अवधि के लिए मान्य होगी।
- 4- उक्त चिकित्सालय अपने परिसर में एक साईन बोर्ड लगायेगा जो यह दर्शाएगा -
"उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो कि उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे हैं तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्य/पारिवारिक पेंशनर्स के लिए अधिकृत चिकित्सालय"।
- 5- चिकित्सालय द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० का एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें निम्न प्रविष्टियां अनिवार्यतः की जायेंगी :-
 - (1) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग।
 - (2) यदि रोगी स्वयं कर्मचारी/अधिकारी नहीं है, तो उसके पिता/पति का नाम और रोगी से सम्बन्ध। (केवल पूर्णतया आश्रित होने की स्थिति में)
 - (3) चिकित्सालय में भर्ती एवं डिस्चार्ज की तिथि
 - (4) कर्मचारी का वेतनमान तथा तैनाती स्थान।
 - (5) रोग का विवरण।
 - (6) कुल प्राप्त की गयी राशि।
 - (7) निगम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर।

उक्त रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

क्रमशः-.....2

- 6- प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित-प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये चिकित्सा-बीजकों के भुगतान की प्रक्रिया यथावत रहेगी।
- 7- उपाकालि में लागू नियमों/प्राविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- 8- कॉरपोरेशन चाहे तो कॉरपोरेशन हित में अस्पताल को बिना कारण बताये पूर्व सूचित करते हुये कॉरपोरेशन पैनल से हटा सकता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 4141/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०II(Medical) तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1. स्टॉफ ऑफिसर-I, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रॉ०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक(वित्त/परिचालन/परियोजना)उपाकालि,वि०क्रॉ०वि०ग०सिं० ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. स्टाफ आफिसर, अधिशासी निदेशक(मा०सं०) उपाकालि, वि०क्रॉ०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, उपाकालि.....।
5. समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि,.....।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि,।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि.....।
8. अधिशासी अभियन्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उपाकालि, वि०क्रॉ०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन देहरादून को कॉरपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
9. मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
10. राही नेत्रधाम सुपरस्पेशियलिटी आई हॉस्पिटल, 3rd फ्लोर, कमला बिजनेस सेन्टर, हरिद्वार बाईपास रोड, नियर रिस्पना पुल, देहरादून।
11. मेडिकल कट फाइल।



(जितेन्द्र सिंह)

उपमहाप्रबन्धक(मा०सं०)